"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ़ 27, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2014

क्रमांक एफ 1/01/2014/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, भा. व. से. (1983), प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यकारी संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री संजय शुक्ला, भा. व. से. (1987), सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. श्री युनूस अली, भा. व. से. (1988), कार्यकारी संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री युनूस अली द्वारा प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय वन सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री संजय कुमार ओझा, भा. व. से. (1989), संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री अनिल राय, भा. व. से. (1990), संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम तथा सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री अनिल राय द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय वन सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. श्री ओम प्रकाश यादव, भा. व. से. (1995), वन संरक्षक, एफ. एम. आई. एस. डिवीजन, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—राज्य शासन द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी, भा. व. से. (1985), वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ. ग., रायपुर की सेवायें संचालक, संस्कृति के पद पर पदस्थ किये जाने हेतु संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

क्रमांक एफ 8-33/2014/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2014 द्वारा श्री शिवराज सिंह, आय. ए. एस. (सेवानिवृत्त) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सलाहकार पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें राज्य के केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

2. श्री शिवराज सिंह, सलाहकार, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की नियुक्ति अवधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त अथवा इनके द्वारा त्यागपत्र देने की तिथि तक के लिए होगी.

3. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि माननीय मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ के सलाहकार को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश क्रमांक 177/362/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 19 अगस्त, 2008 लागू नहीं होंगे.

4. सलाहकार की नियुक्ति अवधि में इन्हें शासन द्वारा समय-समय पर केबिनेट मंत्री को देय वेतन, भत्ते व अन्य सभी सुविधाएं देय होंगी.

5. श्री शिवराज सिंह, आय. ए. एस. (से. नि.), माननीय मुख्यमंत्रीजी के सलाहकार को देय सुविधाओं पर होने वाला व्यय माँग संख्या-01, मुख्य लेखा शीर्ष-2052-090-4327 सचिवालय, सामान्य सेवाएं 01, वेतन भत्ते आदि मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

6. वेतन भत्ते आदि सम्बन्धी उपर्युक्त शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

7. उक्त स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के क्रमांक M-260/F अ. मु. स./वित्त/दिनांक 11-06-2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

क्रमांक एफ 8-33/2014/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जून 2014 के अनुक्रम में श्री शिवराज सिंह, आय. ए. एस. (सेवानिवृत्त) सलाहकार मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ को संलग्न परिशिष्ट-एक में उल्लिखित अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देय होंगी.

परिशिष्ट-एक

1.	वेतन	रुपये 27000/- प्रतिमाह
2.	कार्यालय की अवधि में दैनिक भत्ता	रुपये 1200/- प्रतिमाह
3.	सत्कार भत्ता	शासन द्वारा समय-समय पर केबिनेट मंत्री को देय सत्कार भत्ता
4.	वाहन	एक
5.	पेट्रोल प्रतिमाह	350 लीटर
6.	चिकित्सा सुविधाएं	निःशुल्क (स्वयं एवं उनके कुटुम्ब के सदस्यों हेतु अखिल भारतीय सेवा चिकित्सा नियम के तहत् चिकित्सा सुविधा)
7.	यात्रा दैनिक भत्ता (प्रतिदिन)	रुपये 400/- (छत्तीसगढ़ के अंदर) रुपये 500/- (छत्तीसगढ़ के बाहर)
8.	यात्रा सुविधा	एच. ओ. आर. पर दो व्यक्तियों की रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की सुविधा- 1. पद ग्रहण करने के लिए रायपुर से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के सम्बन्ध में और, 2. पदमुक्त होने पर रायपुर से सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के सम्बन्ध में अपने स्वयं के लिए तथा अपने कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के लिए जो उन पर आश्रित हो और अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीज वस्तु के परिवहन के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने का और, 3. उन दौरों के सम्बन्ध में जो कि उसने अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो. यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और, 4. इन दौरों के दौरान विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो, ठहरे तो, उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में आवास सुविधा तथा विद्युत व्यवस्था उस ठहरने की अवधि में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी. 5. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-6/2005/1/एक दिनांक 06 सितम्बर, 2005 तथा 22 जुलाई, 2006 अनुसार एवं शासन द्वारा समय-समय पर केबिनेट मंत्री को देय हवाई यात्रा सुविधा.
9.	वाहन चालक	दो
10.	दूरभाष	1. दो (एक कार्यालय हेतु, एक निवास हेतु) फेक्स सुविधा सहित 2. एक मोबाईल फोन
11.	स्टाफ	
	1. विशेष सहायक	एक
	2. निज सचिव	एक
	3. निज सहायक	दो
	4. भृत्य	तीन
	5. सुरक्षाकर्मी	दो
	6. आवास सुविधा	शासन द्वारा केबिनेट मंत्री को देय आवास सुविधा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2014

क्रमांक एफ 9-7/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2013 द्वारा श्री डी. के. गुप्ता, उप महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार सेवा, सी. जी. एम. टी. सी. जी. सर्कल, रायपुर की सेवाएं भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उन्हें संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 06-06-2014 को कार्यभार ग्रहण करने संबंधी दी गई सूचना मान्य करते हुए, उन्हें उपरोक्तानुसार संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक एफ-1/50/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अरूण देव गौतम, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, रेल, यातायात, भरती, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, को दिनांक 16-06-2014 से दिनांक 27-06-2014 तक (12 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13,14 एवं 15-06-2014 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गौतम आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, रेल, यातायात, भरती, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गौतम को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ता उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण देव गौतम (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अरूण देव गौतम की उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, रेल, यातायात, भरती, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2014

क्रमांक ई 7-08/2014 /1/2.—श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा. प्र. से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर को दिनांक 27-06-2014 से दिनांक 06-07-2014 तक की अवधि का अर्जित अवकाश ऑनलाईन द्वारा स्वीकृत किया गया है.

2. श्री संतोष कुमार मिश्रा के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आर. सी. सिन्हा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2014

क्रमांक 384/74/अव./2014/1-8/स्था.—श्री के. एस. गुर्जर, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है :-

अवैतनिक अवकाश	दिनांक 16-12-2013 से 22-12-2013 तक	07 दिवस
लघुकृत अवकाश	दिनांक 23-12-2013 से 22-01-2014 तक	31 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. गुर्जर आगामी आदेश तक अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. एस. गुर्जर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एस. गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 जून 2014

क्रमांक 386/373/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 19-05-2014 से 31-05-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-05-2014 एवं 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एमरेंसिया खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

क्रमांक 388/340/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजुरकर, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 18-03-2014 से 28-03-2014 तक 11 दिवस एवं दिनांक 19-05-2014 से 12-06-2014 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17-03-2014 तथा 17, 18-05-2014 एवं 13, 14, 15-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजुरकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एन. राजुरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एन. राजुरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

क्रमांक 390/1152/अव./2008/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 23-06-2014 से 30-06-2014 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल आगामी आदेश तक शोध अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रशांत लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक 398/335/अव./2014/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1061/335/अव./2014/1-8/स्था., दिनांक 09-05-2014 द्वारा श्री ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का दिनांक 19-05-2014 से 24-05-2014 तक 06 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25-05-2014 से 26-05-2014 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 09-05-2014 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

क्रमांक /1202/2014/1-8/.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-01-2012 द्वारा श्री एम. जी. श्रीवास्तव, (उप महाप्रबंधक पर्यटन मंडल प्रायार्च, होटल प्रबंध संस्थान रायपुर) पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग घोषित किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री श्रीवास्तव को श्री पारसनाथ राम, उप सचिव धर्मस्व विभाग के अवकाश पर रहने तक उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री श्रीवास्तव का नियमित वेतन आहरण पूर्वानुसार होटल प्रबंध संस्थान, खानपान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान रायपुर से किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक 403/524/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. एस. गुर्जर, अवर सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 02-05-2014 से 16-05-2014 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-5-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. गुर्जर आगामी आदेश तक अवर सचिव, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. एस. गुर्जर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एस. गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक 408/266/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 02-06-2014 से 12-06-2014 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 01, 13, 14, 15-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक 402/980/अव./2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग को दिनांक 07-06-2014 से 12-06-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 15, 21, 22-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर आगामी आदेश तक उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. के. माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक 404/372/अव./2012/1-8/स्था.—श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-06-2014 से 20-06-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13, 14, 15, 21, 22-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुंद गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुंद गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुंद गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्रमांक 406/2628/अव./2011/1-8/स्था.—श्री तपेश चन्द्र गुप्ता, उप सचिव, पर्यटन विभाग को दिनांक 02-06-2014 से 11-06-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तपेश चन्द्र गुप्ता आगामी आदेश तक उप सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तपेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तपेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के रामानुजगंज निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक एफ 6-68/2009/मबावि/50.—राज्य शासन एतदद्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में अधिसूचित करता है :-

क्र.	संस्था का नाम	पूरा पता	जिले/क्षेत्र का नाम जहां सेवा प्रदाता के रूप में कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक विकास वाहिनी, जशपुर	फरसाबहार क्षेत्रीय कार्यालय हाऊसिंग बोर्ड कालोनी पंजाब नेशनल बैंक के पास, जशपुर दूरभाष नं. 07763-220104, 9303525065	राजस्व जिला जशपुर
2.	फिजा एसोसिएशन, अम्बिकापुर	इमलीपारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा दूरभाष नं. 07774-220824, 9424250803	राजस्व जिला सरगुजा
3.	जनमित्रम कल्याण समिति, रायगढ़	जनमित्रम हाऊस, इंडियन स्कूल रोड बड़े अतरमुड़ा केलो विहार रायगढ़ 07762-220083	राजस्व जिला रायगढ़
4.	महिला मंच रोहिणीपुरम्, रायपुर	रोहिणीपुरम् रायपुर	रायपुर शहर में स्वीकृत एकीकृत महिला सहायता केन्द्र के माध्यम से पीड़िता को आवश्यक सुविधा/सहायता उपलब्ध करायेंगे.
5.	सृजन सामाजिक संस्था, राजनांदगांव	ममता नगर, गली नं. 5 पंचशील कालोनी, राजनांदगांव	दुर्ग-भिलाई शहर में स्वीकृत एकीकृत महिला सहायता केन्द्र के माध्यम से पीड़िता को आवश्यक सुविधा/सहायता उपलब्ध करायेंगे.

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी. साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी. संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

संशोधन आदेश

नया रायपुर, दिनांक 26 जून 2014

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1.—विभागीय आदेश क्र. 967-968/1620/25-2/आजाकवि/2005, दिनांक 08-02-2006 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर हेतु सेटअप स्वीकृत किया गया है. उक्त सेटअप के सरल क्रमांक (4) में "संपरीक्षक", वेतनमान 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200) के 02 पद स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर के सेटअप में संपरीक्षक के उक्त वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 के स्थान पर संशोधित करते हुए 5200-20200, ग्रेड वेतन 2800 करता है.

3. उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक एफ 2014-25-00273/B-3/चार, दिनांक 29-04-2014 द्वारा सहमति/स्वीकृति प्रदान की गई है.

सेटअप में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक एफ -20-2/2009/25-2.—छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-05-2009 एवं 13-09-2011 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था. उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन करता है :-

1.	मान. मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. वि. एवं स्कूल शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान. श्री विक्रम उसेण्डी, सांसद कांकेर	सदस्य
6.	मान. सुश्री चम्पा देवी पावले, विधायक, भरतपुर-सोनहत	सदस्य

7.	मान. श्री रामसेवक पैंकरा, विधायक, प्रतापपुर	सदस्य
8.	मान. श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
9.	मान. श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य
10.	मान. श्री शिवशंकर पैंकरा, विधायक, पत्थलगांव	सदस्य
11.	मान. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
12.	मान. श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	सदस्य
13.	मान. श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	सदस्य
14.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	सदस्य
15.	मान. श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा	सदस्य
16.	मान. श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला-मानपुर	सदस्य
17.	मान. श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दन्तेवाड़ा	सदस्य
18.	मान. श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सचिव

2. विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे. अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2014

क्रमांक 2758/एफ-10-09/बीज/2010/14-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2286-2287/एफ-10-09/बीज/2010/14-2 दिनांक 17-06-2011 द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) के सरल क्रमांक 2 के सम्मुख उल्लेखित "संयुक्त संचालक उद्यानिकी" के स्थान पर "अपर संचालक उद्यानिकी" स्थापित करती है.

शेष यथावत् रहेगा.

Raipur, the 23 June 2014

No./2758/F-10-09/seed/2010/14-2.— In column 2 of serial number 2 of schedule mentioned in Notification No. 2286-2287/F-10-09/seed/2010/14-2 dated 17-06-2011 "Joint Director Horticulture" is hereby replaced with "Additional Director Horticulture" posted at Directorate of Horticulture.

Ramaining portion will be same.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2014

क्रमांक 2961/एफ-8/68/NAIS/2014/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग का पत्र क्र./13015/02/2012-Credit-II दिनांक 1 नवंबर 2013, 21 फरवरी, 2014 द्वारा जारी प्रशासकीय निर्देश तथा पत्र दिनांक 4 फरवरी, 2014 द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईडलाईन के अनुक्रम में राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के सभी 27 जिलों में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग एवं उड़द फसलों (जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है) के लिए खरीफ 2014 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से किया जायेगा. योजना क्रियान्वयन में प्रीमियम अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रावधानित राशि से संचालक कृषि द्वारा किया जायेगा.

2. मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) खरीफ 2014 में योजना के ऑपरेशनल गाईडलाईन के बिन्दु क्र. 8.3 के प्रावधान अनुसार कंपनियों का चयन किया जाकर निम्नलिखित जिलों में उनके समक्ष दर्शित फसल बीमा कंपनियों के द्वारा लागू होगा-

क्र. (1)	बीमा कंपनी का नाम (2)	आवंटित जिला (3)	फसल (4)
1.	आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	रायपुर, बलौदाबाज़ार, गरियाबंद महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा	धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग एवं उड़द
2.	कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	दुर्ग, बालोद, मुंगेली, जांजगीर, कांकेर.	--,,--
3.	बजाज एलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोरिया	--,,--
4.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सूरजपुर, जशपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा	--,,--
5.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बलरामपुर, जगदलपुर, नारायणपुर	--,,--
6.	फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कोंडागांव	--,,--
7.	एच. डी. एफ. सी. ईरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	बीजापुर	--,,--

3. यह योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक होगा.

4. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) द्वारा संचालक कृषि के अधीन गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल बीमा कंपनियों से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त औसत (सामान्य) वर्षा के आंकड़ों से किया जाकर फसलवार तथा जिलेवार Deficit Rainfall, Dry days and Excess Rainfall, Trigger Exit, Maximum Payout कुल बीमित राशि, प्रीमियम दर तथा

प्रीमियम राशि का निर्धारण किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 (कुल 54 पृष्ठ) में फसलवार, जिलेवार दर्शित है. योजना के दिशा-निर्देश अनुसार प्रीमियम राशि का 50% कृषकों द्वारा देय होगा तथा शेष 50% केन्द्र शासन (25%) एवं राज्य शासन (25%) देय होगा.

5. अधिसूचना में शामिल फसल बीमा कंपनियों को परिशिष्ट-1 (कुल 54 पृष्ठ) में दर्शित टर्मशीट को मान्य करने की बाध्यता होगी तथा दावे की गणना इसी आधार पर की जायेगी. फसल बीमा कंपनियों को आवंटित समस्त जिलों के सभी क्षेत्रों में WBCIS का क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य होगा. यदि कोई बीमा कंपनी उन्हें आवंटित जिलों में से किसी भी जिले में WBCIS का क्रियान्वयन नहीं करता है तो उस कंपनी को इस योजना हेतु ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.

6. बटाईदार एवं रेघ में खेती करने वाले कृषक (Share Cropper & Tenant Farmers) भी बीमा का लाभ ले सकेंगे.

7. बीमा विपणन के कार्यों की तिथियां, गैर ऋणी एवं ऋणी कृषकों के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है :-

1.	ऋणी कृषकों (अनिवार्य) हेतु ऋण स्वीकृत होने पर बीमा की अवधि	1 अप्रैल से 15 जुलाई 2014
2.	गैर ऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2014
3.	ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक शाखाओं से नोडल बैंक को कृषकों से (ऋणी अनिवार्य तथा गैर ऋणी स्वैच्छिक आधार पर) घोषणा पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	21 जुलाई 2014
4.	गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को उनके अधिकृत बीमा एजेण्ट द्वारा भेजे जाने की अंतिम तिथि	17 जुलाई 2014
5.	ऋणी (अनिवार्य) तथा गैर ऋणी (स्वैच्छिक) कृषकों का घोषणा पत्र नोडल बैंक से बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तिथि	15 अगस्त 2014
6.	दावों का भुगतान (मौसम के आकड़े प्राप्त होने की स्थिति में)	जोखिम अवधि समाप्त होने के 45 दिन के अंदर

8. उपरोक्त अंतिम तिथि तक घोषणा पत्र एवं प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं की होगी.

9. जिलेवार वर्षा की तिथिवार मासिक जानकारी प्रत्येक माह के 15 तारीख तक बीमा कंपनियों द्वारा संचालनालय कृषि को प्रस्तुत करना होगा.

10. मौसम आधारित बीमा से संबंधित आवश्यक आंकड़ों का संकलन आधुनिक स्वचालित मौसम केन्द्रों के माध्यम से किया जा सकेगा. भारत सरकार के निर्धारित मापदण्ड अनुसार तथा ऑपरेशनल गाईडलाईन के अनुसार प्रत्येक 10 कि. मी. की परिधि में मौसम केन्द्र स्थापित कराने एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करवाने का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित बीमा कंपनी का होगा.

11. रिफरेन्स वेदर स्टेशन (मौसम केन्द्र) किन्हीं कारणों से मौसम के आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाता है उस स्थिति में आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग के मौसम केन्द्रों को बेकअप स्टेशन के रूप में मान्य किया जायेगा.

12. योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को बीमा का लाभ मिल सके.

13. किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अंतर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

14. बीमा प्रस्ताव पत्र में गैर ऋणी कृषकों को बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं पते का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा.

15. इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित क्षेत्र के क्षेत्र दृष्टिकोण (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. क्षेत्र दृष्टिकोण से आशय राजस्व निरीक्षक मण्डल इकाई क्षेत्र से है. संदर्भित इकाई क्षेत्र के फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इसी प्रकार अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तों

और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर मानी जायेगी. प्रत्येक राजस्व निरीक्षक मण्डल में स्थापित वर्षामापी/स्वचालित मौसम केन्द्रों की ग्रामवार सूची बीमा कंपनियों द्वारा सर्वसंबंधितों (अर्थात् संचालक कृषि तथा बैंकों आदि) को जोखिम की तिथि प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा. ताकि योजना क्रियान्वयन में कोई बाधा न हो.

16. प्रतिकूल मौसम घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तें तथा प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु संबंधित एजेंसी उत्तरदायी होगी. सभी प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा.

17. दावा भुगतान प्रक्रिया :-

(क) दावा राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा मौसम केन्द्र से प्राप्त आंकड़े व सरकार द्वारा कोष (प्रीमियम अनुदान) उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.

(ख) मुआवजा प्रक्रिया स्वचालित होगी, संबंधित एजेंसी द्वारा मुआवजा आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के आंकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित कृषकों के खाते में शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुए मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जाएगी.

(ग) दावा वितरण के पूर्व संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दावा पत्रक एवं मौसम से संबंधित आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे.

18. अधिसूचित जिलों में फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत किया जायेगा, किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजे की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा.

अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार के द्वारा जारी किये गये प्रशासनिक निर्देश F. No. 13015/02/2012-Credit-II दिनांक 1 नवंबर 2013, 4 फरवरी 2014 तथा 21 फरवरी, 2014 के अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र./4409/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	धुसेरा प. ह. न. 15	0.045	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	जटकन्हार से हरनसिंघी मार्ग में पेटेश्री नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र./4409/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	गांजमर्रा प. ह. न. 31	0.134	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग के कि. मी. 13/10 में गाजमर्रा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र./4409/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कल्याणपुर प. ह. न. 32	0.654	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग के कि. मी. 13/10 में गाजमर्रा नाला पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र./4409/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	कोदवा प. ह. न. 14	0.526	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	कोदवा-बूढ़ा सागर मार्ग में स्थित गण्डई नाला पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 23 मई 2014

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	सलका	1.700	आयुक्त उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर.	थर्मल पावर परियोजना के लिए कोल कन्वेयर गैलरी एवं विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी. सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक /479/क्र./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र . 31/अ 82 वर्ष 2013—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) ग्राम-राखी, प.ह.नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/1	0.05
70/1	0.31
170/3	0.04
296	0.04
341	0.03
392/2	0.01
392/3	0.01
392/4	0.01
392/5	0.01
396/2	0.03
597	0.22
606/2	0.15
671/7	0.28
[illegible]	0.31
891	0.20
योग 15	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर में योजना क्षेत्र/लेयर-01 अन्तर्गत नया रायपुर के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्रमांक 4409/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरगढ़ नजूल शहर शीट क्रमांक 06, 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6189 वर्गफुट (मकान)

भूखण्ड क्रमांक	रकबा (वर्गफुट में)
(1)	(2)
2216/20	325
2216/19	127
2216/18	171
2216/24	169
2216/16	476
2125/2	400
2216/17	203
2216/14	176
2216/12	336
2216/13	336
2216/15 ए (2)	166
2216/15 ए (3)	160
2216/9	894
2128/3	2250
योग 14	6189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमड़ीबोड़-डोंगरगढ़ मार्ग बधियाटोला से नीचे मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी किया डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.